

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 68 /2021

दिनांक 06.04.2021

श्रीमती वन्दना शर्मा (RJ1157), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर को दिनांक 22.04.2021 से 01.05.2021 तक 10 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 21.04.2021 एवं 02.05.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री निष्ठा पाण्डेय (RJ1060), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर) उदयपुर को श्रीमती वन्दना शर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निर्देश दिया जाता है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
06.04.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/22/2021/ 2312

दिनांक 06.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 4275 दिनांक 25.03.2021 का सन्दर्भ में।
3. श्रीमती वन्दना शर्मा (RJ1157), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर।
5. सुश्री निष्ठा पाण्डेय (RJ1060), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर) उदयपुर।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर) उदयपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या. जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार
6.4.2021